न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रणजीत सिंह बनाम मेहताबसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा प्र. नं. 43/2022	
	रिपोर्ट में "श्रीमाधोपुर HO" से Delivery होना अंकित आया है। अतः प्रतिवादी संख्या - 2 ता 5 व 7 का सही पता पेश करे व प्रतिवादी संख्या 10 की पुनः तामील कार्यवाही करें। वास्ते पेश होने सही पता पत्रावली दिनांक 09-11-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) [illegible] उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना	
9-11-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान [illegible] अधिकारी [illegible] में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11-12-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय [illegible] कार्य में [illegible] है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-1-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 व 7 की तामील जरिए रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाई गई। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी रणजीतसिंह व गवाह मोहनलाल व श्रवण कुमार का मुख्य परीक्षण का शपथ-पत्र पेश कर बहस सुने जाने का निवेदन किया जिस पर उभय पक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार [illegible] किया जाता हैं। मेरे द्वारा निर्णय पृथक से [illegible] कराया किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 23/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	रणजीतसिंह मोहनलाल श्रवणकुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
43/2022	2022/109	22.04.2022	23.01.2024

उनवान प्रकरण

1. रणजीतसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. दिलीपसिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

-- वादीगण--

बनाम्

1. प्रहलादसिंह पुत्र हीरसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 26 धायल अस्पताल के सामने रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)
2. कमला कंवर पत्नी रतनसिंह
3. गुलाब कंवर पुत्री रतनसिंह
4. कैलाश कंवर पुत्री रतनसिंह
5. सुमन कंवर पुत्री रतनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

6. उगम कंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी टीबा ऊपर का मौहल्ला वार्ड नम्बर 8 ग्राम पोस्ट भूदोली वाया नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)
7. मैना कंवर पत्नी दिलीपसिंह पुत्री मनोहरसिंह आयु वर्ष जाति प्लाट नम्बर 19-20 प्रेमनगर ... हाऊस के पास रोड़ नम्बर 17 जयपुर जिला जयपुर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

21/...24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट ... (नीमकाथाना)

8. भवानीसिंह पुत्र भंवर कंवर पुत्री हीरसिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 85, गणेश नगर, 8 क्यू बेदजी का चौराहा निवारू रोड़ जयपुर जिला जयपुर (राज0)

9. जतन कंवर पत्नी पर्वतसिंह पुत्री हीरसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी बिटवाड़ी, पोस्ट कुचेरा, जिला नागौर (राज0)

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

----प्रतिवादीगण

11. नीतू कंवर पुत्री बलवीरसिंह

12. मुन्नी कंवर पत्नी बलवीरसिंह

13. महावीरसिंह पुत्र भंवरसिंह

14. रश्मि कंवर पुत्री बलवीरसिंह

15. रीतू कंवर पुत्री बलवीरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) **--तरतीबी प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 15 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या- 10 की ओर से।

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

--:: निर्णय ::--

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3104 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम

23/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसमें 1/8 हिस्से + 1/8 हिस्से अर्थात 1/4 हिस्से की की खातेदारी वादीगण के एंव 1/4 हिस्से की खातेदारी तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 15 के कुल 1/4 हिस्से की खातेदारी अंकित है जो कि सही अंकित है एंव शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी मृत्तक हीरसिंह पुत्र उगमसिंह के नाम से अंकित चली आ रही है। उक्त हीरसिंह पुत्र उगमसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही परिवार खानदान के है तथा वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण हक हिस्सा की भूमि वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्से एंव अधिकार में आयी हुयी है जिस अनुसार ही वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण सम्पूर्ण भूमि पर कदीमी से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण व इनके मृत्तक पूर्वज हीरसिंह पुत्र उगमसिंह का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नही है। वादग्रस्त भूमियो पर वादीगण काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है वादीगण अपने हिस्से व अधिकार में आयी हुयी अपनी भूमियो में अलग से सींवनींव कायम कर तारबाडण्डी लगाकर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है व वर्तमान स्वरूप में भूमियो को विकसित कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एंव खलल करने के कानूनी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादीगण को नही है, ना ही भूमियो को खुर्द- बुर्द, रहन, बयान करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा ना ही मींढ सींव को तोड़कर भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है। वादीगण अपनी भूमियो की खातेदारी बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड अपने नाम से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नही हुयी है। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियो का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये उक्त भूमियो की खातेदारी वादीगण के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी अंकित करवाने बाबत कहने पर मौजूद प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एंव आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियो की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण वादीगण की भूमियो पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 25.03.2022 को वादीगण द्वारा मौजूद प्रतिवादीगण [illegible] 1 में वर्णित भूमियो की खातेदारी वादीगण के ना[illegible] प्रतिवादीगण ने खातेदारी दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

22/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

कराने से इन्कार हो गये इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वादीगण ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे से कृषि भूमि खसरा नम्बर 3104 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें दर्ज प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 व इनके मृत्तक पूर्वज हीरसिंह पुत्र उगमसिंह का नाम हजफ फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से एडवोकेट जितेन्द्र कुमार गौड़ उपस्थित आये व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 9 की ओर से सम्यक तामिल के बावजूद कोई उपस्थित नही आये हैं। जिनकी एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गयी हैं तथा तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 15 की ओर से एडवोकेट कानाराम पूनिंया ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से [illegible]मा पेश किया गया जो तस्दीक किया गया व वादी रणजीतसिंह का [illegible] का शपथ-पत्र व गवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मोहनलाल कुमावत व श्रवण कुमार का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे रिकार्ड पर लेकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील/वादीगण व वकील/प्रतिवादी नम्बर 1 व वकील/तरतीबी प्रतिवादीगण ने बहस मे दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी व वकील प्रतिवादी नम्बर 1 व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमावंदी संवत् 2074-2077 जमाबंदी, विक्रय लेख व अन्य खरीदशुदा भूमि व पत्रावली मे मौजूद राजीनामा व वादी की साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमि खसरा नम्बर 3104 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें दर्ज प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के मृत्तक पूर्वज हीरसिंह पुत्र उगमसिंह का नाम हजफ किये जाने योग्य हैं। अतः उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरुस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना [illegible] प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
22/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3104 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें दर्ज प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के मृत्तक पूर्वज हीरसिंह पुत्र उगमसिंह का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:05 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)